

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
इन्द्रमानसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति राजपूत
सा. भांवता तह. नावां

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
सुरजमानसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति राजपूत वगै.
सा. भांवता तह. नावां

किरम कुमदमां : 212 आरटीए

मुकदमां नम्बर 0196 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
19.09.2022	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि दर्ज रजिस्टर किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>29/9/22 पत्रावली पेश थार एसोसिएशन म कन्वेलन्स कर कार्य स्वगत का निवेदन पत्र / पत्रावली इलाका कोकर दिनांक 10/10/22 को पेश हो।</p>	
10/10/22	<p>अधिवक्ता जबाबि उपर तामील अदम तामील नोटिस प्राप्त नहीं पुनः पेश करें प्रिं डि 20/10/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट)</p> <p>20/10/22 पत्रावली पेश हुई। ब्रह्मलाल जाट अव्यक्त के द्वारा आज को पेशमान रखा है। पत्रावली दिनांक 29/11/22 को पेश हो।</p>	
29/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। ब्रह्मलाल जाट अव्यक्त के द्वारा आज को पेशमान रखा है। पत्रावली दिनांक 23/11/23 को पेश हो।</p>	
23/11/23	<p>अधिवक्ता जबाबि उपर पूर्व आवेश की पालना काने हेतु दिवापत की मांग प्रिं डि 9/12/23 को पेश हो।</p>	

25/11/23 आदिवासी प्रार्थी उपरान्त आदेश की
पालना में पत्रावली दि० 11/2/23 को
पेश हो ए

11/2/23 आदिवासी प्रार्थी उपरान्त पत्रावली मूल
वाद पत्र के साथ पेश हो दि० दि०
15/12/23 को पेश हो ए

15/12/23 पत्रावली पेश हुई मूल वाद पत्र का
निस्तारण हो चुका है अतः उक्त
प्रार्थना-पत्र को आगे चलाने का कोई
अर्थ नहीं हो ए

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मूल
वाद पत्र का निस्तारण होने से अस्वीकृत
किया जाता है। पत्रावली के मूल अंश
होकर नम्बर से कम हो व दायित्व रखा
हो ए

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)